रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3, उप-खंड (ii)
PART II—Section 3, Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 735] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 1996/अग्रहायण 29, 1918
No. 735] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 1996/AGRAHAYANA 29, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1996

का.आ. 886 (अ): —विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस बात का न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी. के.जैन की अध्यक्षता में "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है कि लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है अथवा नहीं।

[फा. सं.-11011/24/96-एन.ई.IV]
जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 1996

S.O. 886 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) as Unlawful Association, consisting of Justice Shri D.K. Jain, Judge of Delhi High Court.

[F.No. 11011/24/96-NE.IV]
G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996